**भारत सरकार**

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

स्‍कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

**राज्‍य सभा**

अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या: 53

उत्‍तर देने की तारीख: 24.11.2014

**विद्यालयों में उर्दू शिक्षकों की भर्ती**

**53. श्रीमती नाज़नीन फारुख:**

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि देश भर के सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले कई मुसलमान छात्र-छात्राओं को संस्कृत पढ़ने के लिए मजबूर किया जा रहा है, क्योंकि उर्दू शिक्षकों की भर्ती ही नहीं की जाती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा उर्दू शिक्षकों की भर्ती हेतु क्या कार्रवाई की जा रही है?

**उत्‍तर**

**मानव संसाधन विकास राज्‍य मंत्री**

**(श्री उपेन्‍द्र कुशवाहा)**

(क) से (ग): नि:शुल्‍क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम (आरटीई), 2009, सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) जो आरटीई अधिनियम, 2009 के प्रावधानों के कार्यान्‍वयन का मुख्‍य माध्‍यम है, 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के सभी बालकों को नि:शुल्‍क और अनिवार्य आरम्भिक शिक्षा उपलब्‍ध कराता है तथा शिक्षा का माध्‍यम यथासम्‍भव बच्‍चे की मातृभाषा में रखने का प्रावधान करता है।

उर्दू माध्‍यम के सरकारी स्‍कूलों में शिक्षकों की भर्ती का मामला राज्‍य सरकारों के कार्यक्षेत्र आता में है जिसके लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय में कोई केन्‍द्रीयकृत आंकड़े नहीं रखे जाते।

केन्‍द्र प्रायोजित योजना (सीएसएस) के तहत राज्‍यों/संघ राज्‍य क्षेत्रों, जहां किसी कक्षा में 15 या अधिक छात्रों ने इसका विकल्‍प दिया है, को उर्दू शिक्षकों की नियुक्ति के लिए 100 प्रतिशत आधार पर वित्‍तीय सहायता स्‍वीकार्य है।

विभिन्‍न वर्षों में नियुक्‍त उर्दू शिक्षकों के ब्‍यौरे नीचे दिए गए ब्‍यौरों के अनुसार हैं:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| वर्ष | राज्‍य सरकार/संघ राज्‍य क्षेत्र का नाम | भाषा | नियुक्‍त शिक्षकों की संख्‍या |
| 2007-08 | आंध्र प्रदेश | उर्दू | 1400 |
|  | हिमाचल प्रदेश | उर्दू | 100 |
|  | छत्‍तीसगढ़ | उर्दू | 426 |
|  |  | **कुल** | **1926** |
| 2008-09 | पंजाब | उर्दू | 42 |
| 2010-11 | केरल | उर्दू | 208 |
|  | ओडिशा | उर्दू | 25 |
| 2011-12 |  |  | शून्‍य |
| 2013-14 | पंजाब | उर्दू | 42 |
| 2014-15 | पंजाब | उर्दू | 42 |

\*\*\*\*\*